परिवहन विभाग
बिहार, पटना

आदेश

पत्रांक–03 / प्र0–ओवरलोडिंग–10–01 / 2018............... पटना, दिनांक.....................

निदेशानुसार बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न मार्गो में ओवरलोडिंग को रोकने हेतु बालू के परिवहन हेतु सीमित लदान क्षमता के ट्रकों के उपयोग एवं अधिक लदान क्षमता के ट्रकों को निषेधित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विगत दिनांक–27.01.2020 को सम्पन्न बैठक तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत कार्यवाही संख्या–44, दिनांक–07.02.2020 में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित आदेश दिए जाते है:–

1. सम्पूर्ण बिहार में 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रकों का उपयोग बालू के उठाव एवं परिवहन हेतु पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. सम्पूर्ण बिहार में 14 एवं इससे कम चक्कों वाले ट्रकों में कृत्रिम रूप से यथा–लकड़ी का पट्टा या अन्य तरीके से वर्द्धित की गई लदान क्षमता को अविलंब हटाना सुनिश्चित किया जाय।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के वाहन स्वामियों के साथ बैठक / समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश का अनुपालन दिनांक–05.03.2020 तक सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी वाहन स्वामियों को ट्रको में कृत्रिम रूप से वर्द्धित की गई लदान क्षमता को हटाने हेतु सूचना प्रकाशित की जाय। साथ ही इसका नियमित अनुश्रवण करते हुए अपने अधीनस्थ परिवहन विभागीय प्रवर्तन तंत्र तथा यातायात पुलिस के माध्यम से इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं मोटरवाहन अधिनियम / नियमों में अंतर्निहित सुसंगत धाराओं का प्रयोग करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

ह0 / –
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03 / प्र0–ओवरलोडिंग–10–01 / 2018............... पटना, दिनांक.....................

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2 सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार / पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03 / प्र0–ओवरलोडिंग–10–01 / 2018....1415 पटना, दिनांक....18/2/2020

प्रतिलिपि– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रर्वतन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं का उपयोग करते हुए शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं इसका दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

परिवहन विभाग
बिहार, पटना

आदेश

पत्रांक–03 / प्र0–ओवरलोडिंग–10–01 / 2018..........1615 पटना, दिनांक 18/2/2020

..

निदेशानुसार बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न मार्गो में ओवरलोडिंग को रोकने हेतु बालू के परिवहन हेतु सीमित लदान क्षमता के ट्रकों के उपयोग एवं अधिक लदान क्षमता के ट्रकों को निषेधित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विगत दिनांक–27.01.2020 को सम्पन्न बैठक तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत कार्यवाही संख्या–44, दिनांक–07.02.2020 में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित आदेश दिए जाते है:–

1. सम्पूर्ण बिहार में 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रकों का उपयोग बालू के उठाव एवं परिवहन हेतु पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. सम्पूर्ण बिहार में 14 एवं इससे कम चक्कों वाले ट्रकों में कृत्रिम रूप से यथा–लकड़ी का पट्टा या अन्य तरीके से वर्द्धित की गई लदान क्षमता को अविलंब हटाना सुनिश्चित किया जाय।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के वाहन स्वामियों के साथ बैठक/समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश का अनुपालन दिनांक–05.03.2020 तक सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी वाहन स्वामियों को ट्रको में कृत्रिम रूप से वर्द्वित की गई लदान क्षमता को हटाने हेतु सूचना प्रकाशित की जाय। साथ ही इसका नियमित अनुश्रवण करते हुए अपने अधीनस्थ परिवहन विभागीय प्रवर्तन तंत्र तथा यातायात पुलिस के माध्यम से इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं मोटरवाहन अधिनियम/नियमों में अंतर्निहित सुसंगत धाराओं का प्रयोग करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

ह0/–
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03 / प्र0–ओवरलोडिंग–10–01 / 2018.1615 पटना, दिनांक 18/2/2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2 सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2020
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।